International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 11 No. 3 Jan-Feb 2024

साइबर बुलिंग : एक साइबर अपराध

श्रीमति कांति सिंह काठेड़
पुस्तकालयाध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम
Corresponding Author – श्रीमति कांति सिंह काठेड़
DOI- 10.5281/zenodo.10673684

सार :

यह एक साइबर अपराध है। जिसमें सोशल मीडिया, गेमिंग समुदायों जैसे ऑन लाईन प्लेटफार्म पर डिजीटल रुप से अपराध होता है। इन ऑनलाईन प्लेटफार्म पर लोग उपयोगकर्त्ता को अपमानित करने, धमकाने नीचा दिखाने उसके बारे में हानिकारक, झूठी सामग्री या व्यक्तिगत जानकारी, गंदी भाषा, तस्वीरों आदि को साझा करते हैं। उपयोगकर्त्ता जब साइबर बुलिंग का शिकार हो जाता है तब वह मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रुप से परेशान हो जाता है। साइबर बुलिंग के शिकार लोगों के लिये यह एक भयावह, हानिकारक, दखल देने वाला और बहुत ही रियल होता है। शिकार हुये उपयोगकर्त्ता अधिकतर आत्महत्या तक कर लेते हैं।

की वर्डस् : साइबर अपराध, बुलिंग, सोशल मीडिया, साइबर स्टॉकिंग,

साइबर बुलिंग क्या है :

साइबर बुलिंग इलेक्ट्रानिक माध्यमों का उपयोग करके डराने धमकाने का एक रुप है। इसे ऑनलाईन बुलिंग के नाम से भी जाना जाता है। डिजीटल क्षेत्र में साइबर बुलिंग का तेजी से विस्तार हुआ है जिससे यह युवा वर्ग, बच्चों पर तेजी से अपना असर दिखा रहा है। साइबर बुलिंग कई तरह से लोगों को शिकार बनाती है। जैसे सोशल मीडिया एकाउंट पर किसी के बारे में झूठ फैलाना, उसके चरित्र पर गंदे कमेंट करना, उसके वीडियो पोस्ट करना, शर्मनाक फोटो पोस्ट करना, डराने धमकाने के लिये ईमेल करना या टेक्स्ट मैसेज भेजना, वेब चैट, उसकी छवि को खराब किया जाना शामिल है। साइबर बुलिंग वास्तविक दुनिया की बुलिंग (बदमाशी) से अलग है।

साइबर बुलिंग का उद्देश्य :

साइबर अपराधियों के पास इन अपराधों को करने के लिये कई उद्देश्य होते है जिससे वे किसी भी व्यक्ति, सरकार या संगठन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर स्टाकिंग, सिस्टम को खराब करने के लिये वायरस जैसे मेलवेयर बनाना, भेजना या पैसा कमाने के लिये किसी का भी डेटा चोरी करना आदि शामिल हैं। उपयोगकर्त्ता जो कि साइबर बुलिंग के शिकार हैं उन्हे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रुप से परेशान करना।

साइबर बुलिंग के रुप :

साइबर बुलिंग कई रुप में हो सकती है। लेकिन सभी प्रकार के रुपों को समझना आसान नही है। कुछ साइबर बुलिंग के रुपों के बारे में बता रहे हैं जो निम्न हैं :

1. **बैटिंग** : जानबुझ कर किसी व्यक्ति को गुस्से के लिये उकसाना।
2. **डिसिंग** : ऐसी जानकारी पोस्ट करना जिससे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो।
3. **फापिंग** : किसी और के खाते को लॉगइन कर उनके नाम पर अनुचित सामग्री पोस्ट करना।
4. **गोट** : किसी व्यक्ति के बारे में जानबुझ कर निजी या शर्मनाक जानकारी पोस्ट करना, फोटो या वीडियो वारल ऑनलाईन साझा करना।
5. **केटफिसिंग** : किसी की प्रोफाईल चुराकर ऑनलाईन रिलेशनशिप शुरु करने के लिये नकली प्रोफाईल बनाना।
6. **अपवर्जन** : जानबुझकर किसी को ऑनलाईन बातचीत, गेम और गतिविधियों से बाहर रखना।
7. **ग्रिफिंग** : ऑनलाईन गेम के माध्यम से लोगो को गाली देना।
8. **साइबर स्टॉकिंग** : बार बार संदेश भेजना जिसमें शारीरिक नुकसान के खतरे शामिल हैं।
9. **ज्वलंत** : किसी से तर्क वितर्क शुरु करने के लिये जानबूझकर उकसाना।
10. **उत्पीड़न** : एक व्यक्ति या समूह को लगातार और आक्रामक संदेशों को लक्षित करना।
11. **ट्रोलिंग** : संवेदनशील विषयों पर अपमानजनक पोस्ट भेजना।

मेंटल हेल्थ पर साइबर बुलिंग का बुरा असर :

साइबर बुलिंग के नतीजे काफी खतरनाक होते है। जो भी व्यक्ति साइबर बुलिंग का शिकार होता है वह मानसिक और शारीरिक रुप से बीमार हो जाता है। वह मानसिक रुप से परेशान शर्मिंदा, भयभीत, एग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। उसके शरीर पर इसके लक्षण दिखने लगते हैं। नींद नही आना, हमेशा थकान का अनुभव होना, सिर में दर्द, शरीर में दर्द बना रहता है।

साइबर बुलिंग से निटना :

फेसबुक पर फेक आईडी चलाना आम बात हो गई है। फेक आईडी के जरिये गलत और सही व्यक्ति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है। फेक आईडी के जरिये गंदी भाषा का प्रयोग कर धमकी भेजना या सैक्स से जुड़े मेसेज भेजे जाते हैं। जिस व्यक्ति के नाम पर फेक आईडी बनी है और यदि हम उसे जानते हैं तो उसे इस फेकआईडी के बारे में बताना चाहिये और पुलिस में रिर्पोट करना चाहिये तथा फेसबुक से फेकआईडी की रिर्पोट करना चाहिये। फेसबुक पर कोई अनजान व्यक्ति दोस्त बनना चाहता है तो उसे ब्लॉक कर देना चाहिये। ब्लॉक करने से वह आपको देख भी नही सकता और खुद ही दोस्ती छोड़ देगा। ऐसी प्रोफाईल की भी पुलिस में रिर्पोट करना चाहिये। बहुत बार आपने सुना

होगा कि फेसबुक पर देवी देवताओं या अन्य धर्मों पर अशोभनीय कमेंट देते हैं यह अत्यंत गंभीर मामला है इस पर भी पुलिस में रिर्पोट करना चाहिये।

साइबर बुलिंग को यूनीसेफ ने मानसिक स्वास्थ के लिये खतरनाक माना है :

बच्चे या बड़े (सोशल साइस्ट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर) इनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ज्यादातर समय बच्चे या बड़े अपना समय इसी पर व्यतीत करते हैं। कहा जाय तो इन लोगों को सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। साइबर बुलिंग इन लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा हैं। इसके शिकार लोग मानसिक और शारीरिक रुप से अस्वस्थ हो रहे हैं। यूनीसेफ ने शिकार लोगो को सोशल मीडिया से दूर रहने कहा है।

भारत में लगभग 85% बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार हैं :

भारत में लगभग 85% बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार हैं। यह रिर्पोट भारत में साइबर सुरक्षा कंपनी McAfee द्वारा किये गये नये अध्ययन पर तैयार की गई है। यह एक भयावह स्थिति है।

मिडिल स्कूल के बच्चे साइबर बुलिंग के ज्यादा शिकार हैं :

साइबर बुलिंग बच्चों में क्रेज सा बनता जा रहा है। इससे बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं साथ ही इनका भविष्य भी खराब होता जा रहा है।

साइबर बुलिंग के शिकार बच्चे :

जब साइबर बुलिंग के शिकार बच्चे इससे ग्रस्त हो जाते हैं और अपने को इससे नही निकाल पाते हैं तब अधिकतर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। इन शिकार हुये बच्चों के माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिये। यदि माता पिता को पता चलता है कि उनका बच्चा साइबर बुलिंग में शामिल है तो उसको तुरंत रोकना चाहिये। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि वह इंटरनेट का उपयोग कर रहा है तो वह क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, ध्यान देना चाहिये और इंटरनेट के उपयोग को बंद करना चाहिये।

बच्चों को साइबर बुलिंग से रोकने के उपाय :

सबसे पहले इलेक्ट्रानिक गजेट्स जैसे फोन, लेपटाप, टैब, सोशल मीडिया आदि के उपयोग को रोकना चाहिये। बच्चे अकसर इन बातो को अपने माता पिता से छुपाते हैं। माता पिता को बच्चो को बताना चाहिये कि हम उनकी इन बातों को जानते है। बच्चों के साथ माता पिता को बैठ कर उनसे बात करना चाहिये और उनको पूरा सहयोग देना चाहिये जिससे बच्चे साइबर बुलिंग से दूर हो। यदि बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है तो उन सभी मटीरियल को सुरक्षित करके रखना चाहिये और इन मटीरियल का प्रिंटआऊट निकलवा कर रखना चाहिये। यदि बच्चे को किसी भी प्रकार की धमकी मिल रही है तो स्कूल में जाकर प्रिंसपिल और टीचर को बताना चाहिये और पुलिस को रिर्पोट करना चाहिये। यदि आपका बच्चा बुली है तो उसका सेल फोन बंद कर देना चाहिये जिससे दूसरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद न हो। यदि बच्चा घर पर इंटरनेट का उपयोग कर रहा है तो ध्यान रखें कि इंटरनेट पर वह क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है किसके साथ चैटिग कर रहा है। चैटिग कर रहा है तो निगाह रखे कि क्या चैटिग के द्वारा किया संदेश जा रहा है और उस चैटिग का क्या रिपलाई आ रहा है। बच्चो से जुड़ी हर जानकारी पर ध्यान रखें। उनकी इंटरनेट एक्टीवीटीज पर ध्यान दे। उनसे बात करें। इंटरनेट सिक्यूरिटी साफ्टवेयर को इंस्टाल करवाकर उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखें।

श्रीमति कांति सिंह काठेड़

बच्चों को साइबर बुलिंग के लिये समझाये :

बच्चे को बताईये कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट पर न डालें। अनजाने ईमेल एड्रेस से आये मेल को न खोले। किसी से भी ऑनलाईन कांटेक्ट करना है तो अपना ईमेल एड्रेस दो। धमकी वाले संदेश या सेक्सूअल संदेश कोई करता है तो अपने माता पिता को जरुर बताये। ऑनलाईन यदि किसी ऐसी व्यक्ति से बात कर रहे हो कि उससे कभी मिले नही हो और वह बुलाये तो अपने माता पिता को जरुर बताये और माता पिता यदि समझेगे कि जाना चाहिये तो बच्चे के साथ ही जाये। अपने मोबाईल फोन को किसी के पास या अनजान जगह पर बिल्कुल भी न छोड़े।

निष्कर्ष :

साइबर बुलिंग इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला अपराध है। इसलिये इन अपराधों से बचना चाहिये और बचने के लिये कुछ उपाय करना चाहिये। सर्तकतापूर्ण और सुरक्षा प्रोटोकॉल से साइबर अपराध को कुछ हद तक काबू किया जा सकता है।

संदर्भ :

1. https://hi.wikipedia.org
2. http://www.internetmatters.org
3. People also ask
4. http://radiobuz.com
5. http://www.bbc.com
6. http://hindi.boldsky.com